राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

'किसान मण्डी भवन' विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पंत्राक : क0सेल/67(3)/2020–508   दिनांक 05/12/2020

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
लघु कृषक, कृषि व्यापार संघ,
एन0सी0यू0आई0 आडोटोरियम बिल्डिंग,
पंचम तल, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, दिल्ली–16

विषय : ई–नाम परियोजना के अन्तर्गत मण्डी शुल्क की दर में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण ई–नाम परियोजना प्रदेश की 125 मण्डी समितियों में संचालित है। कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना सं0–8/2020/1280/80–1–2020–600(10)/2020 लखनऊ दिनांक 27 नवम्बर, 2020 द्वारा मण्डी क्षेत्र में विनिदिष्ट कृषि उत्पाद के बिक्री के सौदे पर संदेय मण्डी शुल्क की दर, मण्डी स्थल में ऐसे विक्रय किये गये कृषि उत्पाद के मूल्य की 1% होगी जबकि विकास सेस की दर पूर्व की भॉति .5% ही रहेगी।

अतएव शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–8/2020/1280/80–1–2020–600(10)/2020 लखनऊ दिनांक 27 नवम्बर, 2020 की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि कृपया तद्नुसार ई–नाम पोर्टल पर भी परिवर्तन कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

04.12.2020

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
मण्डी निदेशक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उपनिदेशक, कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, केन्द्रीय भवन अलीगंज, लखनऊ।
2. उपनिदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, लखनऊ।
3. ई–नाम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

मण्डी निदेशक

373

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1
संख्या–8/2020/1280/80–1–2020–600(10)/2020
लखनऊ, दिनांक– 27 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 17 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या–4565(1)/12–5–94–600(108)(1)/88, 15 दिसम्बर, 1994 का अधिक्रमण करके, राज्यपाल अधिसूचित करती हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से मण्डी क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के बिक्री के सौदों पर संदेय मण्डी शुल्क की दर, मण्डीस्थल में ऐसे विक्रय किये गये कृषि उत्पाद के मूल्य की एक प्रतिशत होगी।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

372

संख्याः–8 / 2020 / 1280(1) / 80–1–2020 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित दिनांक 27 नवम्बर, 2020 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–4 के खण्ड 'ख' में प्रकाशनार्थ । कृपया अधिसूचना की 250 प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।
2. ✓ निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।
3. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
   समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त सभापति / सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियां, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(समर बहादुर)
अनुसचिव